–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 08/2024

उनवान

बालू पुत्र छोगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम तिहारी नसीराबाद
—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
बनाम

1. गीता पत्नी लालाराम
2. प्रधान पुत्र लालाराम
3. बसराम पुत्र हंगामा
4. हनुमान पुत्र लालाराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
5. मैनेजर, बैक आफॅ बडौदा शाखा दादिया, नसीराबाद
6. मैनजर, स्टेट बैंक आफॅ इंडिया शाखा, तिहारी, नसीराबाद
7. उप पंजीयक, नसीराबाद
8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 6 अनुपस्थित, 7 व 8 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 5.2.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी में वादी की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की भूमि स्थित है, जिसका राजस्व अभिलेख अनुसार विवरण निम्न प्रकार है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
4764	2–14–0	2933	0.44
4765	2–15–0	2932	0.44
4766	2–11–0	2931	0.14
		2930	0.27
4767	2–5–0	2928	0.14
		2929	0.26
4768	4–9–0	2926	0.35
		[illegible]	0.37

उपरोक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 476[illegible] से [illegible] का कुल रकबा 14–14–0 में से वंर्किग जमाबंदी के तत्कालीन [illegible] अपना 4/33 हिस्सा वादी को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र [illegible] 27.12.86 [illegible]न कर कब्जा वादी [illegible]पुर्द कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दिया था। तब से वादी आराजी मुतनाजा का काबज मालिक स्वामी चला आ रहा है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 2933, 2932, 2931, 2930, 2928, 2929, 2926, 2927 में विक्रेता फूला पुत्र छोटू का 4/33 हिस्सा हाज राजस्व अभिलेख में अलग से हिस्सा कायम कर हाल खसरा नम्बर 2928 रकबा 0.14 व 2931 रकबा 0.14 अलग खातें में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दिया। हाल राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बावजूद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पेरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किया तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख अनुसार ग्राम तिहारी के वंर्किग खसरा नम्बर 4764 से 4768 का कुल रकबा 14–14–0 जमाबंदी के खाता संख्या 560/553 में विक्रेता फूला पुत्र छोटू का 4/33 हिस्सा दर्ज था। शेष हिस्से के खातेदार अन्य व्यक्ति विक्रेता फूला पुत्र छोटू के साथ सहखातेदार दर्ज थे। वंर्किग नम्बर की उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार फूला पुत्र छोटू के द्वारा अपना 4/33 हिस्सा वादी को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.12.86 को बैचान कर कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया था। तब से वादी आराजी मुतनाजा का काबज मालिक स्वामी चला आ रहा है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 2933, 2932, 2931, 2930, 2928, 2929, 2926, 2927 में विक्रेता फूला पुत्र छोटू का 4/33 हिस्सा हाज राजस्व अभिलेख में अलग से हिस्सा कायम कर हाल खसरा नम्बर 2928 रकबा 0.14 व 2931 रकबा 0.14 अलग खातें में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दिया। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र में अंकित खसरा नम्बर का कुल रकबा 14–14–0 है। जिसका 4/33 हिस्सा 0.28 रकबे का अलग खाता कायम कर खसरा नम्बर 2928 रकबा 0.14 व 2931 रकबा 0.14 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दिये। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी विक्रय पत्र की पालना में केता वादी के नाम दर्ज करने के बजाय प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया। वादी ने उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार से जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की थी। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। विक्रेता के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा वादी की विधिक क्रयशुदा सिद्व होती है। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के हक में रहन दर्ज है। किन्तु वादी द्वारा उक्त आराजी विधिवत क्रय की गयी है। अतः प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में दर्ज रहन वादी के हितों पर अप्राभावी रहेगा। विक्रय प[illegible]जी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी आराजी मुतनाजा [illegible]ारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 2928 रकबा 0.14 व 2931 रकबा 0.14 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

बालू बनाम गीता

दावा बाबत :– 88 188 राज. का. अधि0 1955, धारा 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 08/2024
पेश करने की दिनांक – 01.01.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद् राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 2928 रकबा 0.14 व 2931 रकबा 0.14 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 2 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:21 IST
Reason: SelfAttested